अधिसूचना	नई दिल्ली, तारीख 17 मार्च, 2012,
सं0 7/2012- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.)	

सा.का.नि. (अ) -- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 4क की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 49/2008 - केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 24 दिसंबर, 2008 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं0 882(अ), तारीख 24 दिसंबर, 2008 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना की सारणी में, --

(i) क्रम सं. 26 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)
"26क	2402	सिगरेट	50%";

(ii) क्रम सं. 28 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)
"28क	2523 29	सभी माल	30";

(iii) क्रम सं. 56 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)
"56	64	सभी जूतादि	35"

(फा.सं. 334/1/2012-टीआरयू)

(राज कुमार दिग्विजय)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण -- मूल अधिसूचना सं. 49/2008 - केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 24 दिसंबर, 2008 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं0 882 (अ), तारीख 24 दिसंबर, 2008 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं0 30/2011- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क(एन.टी.), तारीख 30 दिसम्बर, 2011 द्वारा किया गया था जो सा.का.नि. सं0 941 (अ), तारीख 30 दिसम्बर, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।